



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126518-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 11908 वर्ष 2026

राजन कुशवाहा एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : मानवेन्द्र कुमार यादव

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 40

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोत

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

याचिकाकर्तागण ने निम्नलिखित राहत की मांग की है:

“(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी कर दिनांक 08.05.2026 की आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या 37/2026, धारा 191(2), 191(3), 109, 121(1), 132, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, थाना जटहा बाजार, जनपद कुशीनगर को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी कर प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 08.05.2026 की आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुकदमा अपराध संख्या 37 of 2026, धारा 191(2), 191(3), 109, 121(1), 132, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, थाना जटहा बाजार, जनपद कुशीनगर के अनुसरण में याचिकाकर्तागण को गिरफ्तार न करें।”

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एफआईआर का पंजीकरण उप निरीक्षक, थाना जटाहा बाजार, जिला-कुशीनगर द्वारा कराया गया है।

विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर में निर्धारित अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और उन्हें तेंदुए को बचाने के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। झूटी पर तैनात लोक सेवकों पर हमला करना और उनके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप करना एक गंभीर अपराध है जो कानून के शासन में जनता के विश्वास को हिलाता है।

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता श्री मानवेंद्र कुमार यादव ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण को गलत तरीके से फंसाया गया है।

इस मुद्दे पर फिर से जुड़ते हुए, विद्वान एजीए ने आगे कहा कि एफआईआर के साथ-साथ रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री अपराध के प्रथम दृष्टया कमीशन को स्थापित करती है और उसी की गहन जांच की गारंटी देती है। विवेचना चल रही है। इस स्तर पर याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से जांच में बाधा आएगी, सबूतों का नुकसान होगा या गायब हो जाएगा और यह **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1992 पूरक (1) एससीसी 335 एवं निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) 19 एससीसी 401** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के दायरे में होगा।

भजन लाल (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों जिसे हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हमने उदाहरण के माध्यम से प्रकरण की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशा-निर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के



प्रकरण की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण नहीं बनता है।

(2) जहां एफआईआर के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर, संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के कमीशन का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ प्रकरण बनाते हैं।

(4) जहां, एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी उपबंध में संस्था के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और कार्यवाही जारी है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से भाग ली जाती है और/या जहां अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ दुर्भावनापूर्ण रूप से कार्यवाही शुरू की जाती है और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे नाराज करने की दृष्टि से कार्यवाही शुरू की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



103. हम इस आशय की सावधानी का एक नोट भी देते हैं कि एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम प्रकरण में; कि न्यायालय एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करने में न्यायसंगत नहीं होगी और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

निहारिका (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की व्याख्या निम्नानुसार की:

"33.16. उपरोक्त पैरामीटर लागू होंगे और/या उपरोक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, जब धारा 482 द0प्र0सं0 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। हालांकि, रद्द करने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानी से पारित किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित, आकस्मिक और/या यंत्रवत् पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही हो और तथ्य अस्पष्ट हों और संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से खुद को रोकना चाहिए और आरोपी को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 द0प्र0सं0 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए वापस ले जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द0प्र0सं0 की धारा 482 के तहत और / या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने वाली याचिका को खारिज करते समय जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या धारा 173 द0प्र0सं0 के तहत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दायर नहीं होने तक, गिरफ्तारी और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का आदेश पारित करने में उचित नहीं होगा और न ही ऐसा होगा।"

भजन लाल (पूर्वोक्त) और **निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (पूर्वोक्त)** में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय इस प्रकरण के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से रोकते हैं।

एफआईआर को रद्द करने के लिए मांगी गई राहत को भी इन्हीं कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

10 जून 2026

आशीष त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।